


न्यायालय श्रीमान् महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म०प्र०

नियमित निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014



₹. 15/-

R-1948-1114

- 1- वेवा स्यावाहूँ पत्नी स्व० रामखेलावन
- 2- सीता कुमार तनय स्व० रामखेलावन
- 3- विमला वाहूँ पुत्री स्व० रामखेलावन
- 4- मिथिला वाहूँ पुत्री स्व० रामखेलावन ज्ञा० सी निवासीगण ग्राम खेरवा कला, तहसील मेहर, जिला सतना म०प्र० -निगरानीक षण

विरुद्ध

जगन्नाथ पिता जगेश्वरप्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम खेरवा कला, तह

मेहर, जिला सतना म०प्र० ----- ग्रनिगरानीक

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त

महोदय रीवा संलग्न रीवा म०प्र० निर्णयदिनांक

06-03-14 प्रकरणक्र० 119/ अपील/01-2

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व

संहिता सन 1959ई०

मान्यवर, निगरानी के आधार निम्न है:-

सूत्रम तथ्य

स्थित ग्राम खेरवा कला, तहसील मेहर, जिला सतना म०प्र०

मे आ०न० 171 जिसका निगरानीक षण मूमिस्वामी व आधिपत्यधारी

है, तथा मकान बनाकर आवाक है। तथा पूर्वजोंसे आवाक है, तथा की मृत्यु

क्रीमती सिफावाही) जागनाय जाडेप

R. 1948-हो/14 लखना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि |
|------------------|--|---------------------------|
| 15.9.15 | <p>1- प्रकाश प्रकृत)</p> <p>2- आवेदक गग तथा उनके अभिभाषक श्री रमेश प्रिजा की प्रकाश तीन बार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपाधित नहीं है।</p> <p>3- प्रकाश का अवलोकन किया। आवेदक लगातार सात पेशियों से उपाधित नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश में आगे चलने की कोई सूची नहीं है। अतः संस्था की धारा 35(2) के तहत प्रकाश अदम पेशी में स्थापित किया जाता है।</p> <p>4- प्रकाश पेशी से समाप्त होकर वा.क. हो।</p> <p style="text-align: right;">(सदस्य)</p> | |